JALAUN POLICE

दिनांक – 22.07.2026

थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा 01 गांजा तस्कर को 1209.4 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में अवैध शराब के निष्कर्षण व परिवहन एवं नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 21.07.2026 को गांजा तस्कर अभियुक्त सुनील अवस्थी पुत्र सत्यनारायण अवस्थी उम्र करीब 60 वर्ष निवासी मोहल्ला पुरोहितान कस्वा जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन को 1209.4 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 56/2026 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1.सुनील अवस्थी पुत्र सत्यनारायण अवस्थी उम्र करीब 60 वर्ष निवासी मोहल्ला पुरोहितान कस्वा जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन।

अभियुक्त सुनील अवस्थी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-363/2013 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुरा जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0-0118/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुरा जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 56/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुरा जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1209.4 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक रामपुरा मय पुलिस टीम